उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्माणाधीन सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया

उपमुख्यमंत्री ने गुणवत्ता और समयबद्धता के निर्देश दिए

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

■ उपमुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल की विभिन्न व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से प्रगति की जानकारी प्राप्त की

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को 'प्रगति पथ यात्रा' कार्यक्रम के अंतर्गत विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल परियोजना की विभिन्न व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में देशभर में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी इसी संकल्प के साथ जनहित और विकास कार्यों को गति दे रही है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण विकास और जनकल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

नाबालिग दुष्कर्म पीडिता को गर्भ समाप्त करने की अनुमति

■ नाबालिग को 25 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई नाबालिग को राहत देते हुए उसे 25 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड को कहा है कि वह सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के साथ पीडिता का गर्भपात करें। इस दौरान यदि शिशु का जन्म होता है तो उसकी देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश पीडिता की ओर से अपनी मां के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि नाबालिग लडकी को उसकी इच्छा के विपरीत अवांछित गर्भावस्था को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह मामला केवल चिकित्सीय सीमाओं का नहीं, बल्कि एक नाबालिग के जीवन, गरिमा और उसके मौलिक अधिकारों से जुडा है। अदालत ने कहा कि गर्भावस्था दुष्कर्म का परिणाम है और नाबालिग पीडिता ने स्पष्ट रूप से गर्भ जारी रखने से इनकार किया है। ऐसे में उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड की ओर से कहा गया कि गर्भावस्था जारी रखना पीडिता के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, हालांकि गर्भ समापन की प्रक्रिया उच्च जोखिम वाली होगी।

याचिका में अधिवक्ता सोनल सिंह ने बताया कि नाबालिग दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई है और वह इस अवांछित गर्भ को जारी रखना नहीं चाहती।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जंयती पर बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर उनके छात्राचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

पुलिस कमिश्नर जामडोली थाने पर 20 को जनसुनवाई करेंगे

जयपुर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल बीस जून (शनिवार) को दोपहर 11.30 से 01.30 बजे तक जामडोली पुलिस थाने पर जनसुनवाई करेंगे।

इस दौरान आदर्श नगर सर्किल के जवाहर नगर,आदर्श नगर,ट्रांसपोर्ट नगर एवं जामडोली थानों के परिवादियों की जनसुनवाई की जावेगी।

जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुँचाना है।

इस अवसर पर विशेष पुलिस कमिश्नर(ऑपरेशंस) ओमप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (अपराध) अजय सिंह, पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजीता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) आलोक सिंघल, सहायक पुलिस आयुक्त (आदर्श नगर) सहित संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

लगता है अनुसंधान अधिकारी को साइबर अपराध की जांच का तरीका नहीं पता : हाईकोर्ट

■ अदालत ने कहा कि कोर्ट की ओर से बार-बार क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी को लेकर रिपोर्ट मांगने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जिससे जाहिर होता है कि अनुसंधान अधिकारी को साइबर अपराध के मामलों की जांच करने का तरीका नहीं पता

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराध से जुड़े मामले में जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए प्रकरण के जांच अधिकारी पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कोर्ट की ओर से बार-बार क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी को लेकर रिपोर्ट मांगने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जिससे जाहिर होता है कि अनुसंधान अधिकारी को साइबर अपराध के मामलों की जांच करने का तरीका नहीं पता। जस्टिस रवि चिरानिया की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश वाजिब और साहिल की द्वितीय जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता आरोपियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, यूपीआई आईडी, डिजिटल वॉलेट और अन्य वित्तीय विवरण की जानकारी जांच अधिकारी को देनी होगी। इसके साथ ही आरोपियों को अपने लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराना होगा। अदालत ने कहा कि आरोपी बिना सूचना दिए नया सिम कार्ड, बैंक खाता या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता आरोपियों की ओर से यदि जमानत की किसी भी शर्त की अवहेलना की जाती है या वे इसी तरह के किसी अन्य अपराध में लिप्त पाए गए तो जमानत को निरस्त किया जा सकता है।

द्वितीय जमानत याचिका में अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि मामले में गत 30 जनवरी को डीग जिले के नगर पुलिस थाने में साइबर अपराध को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश पहली जमानत याचिका को आरोप पत्र पेश होने के बाद दायर करने की प्रार्थना पर खारिज कर दिया गया था। मामले में अब आरोप पत्र पेश हो चुका है। वहीं मामले में बहुत छोटी राशि शामिल होने के साथ ही अनुसंधान भी पूरा हो गया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को सशर्त जमानत देते हुए जांच अधिकारी पर कड़ी टिप्पणी की है।

हल्दीघाटी शौर्य स्मृति समारोह आज

जयपुर। तंवरावती राजपूत सभा, राजस्थान के तत्वावधान में हल्दीघाटी के अमर बलिदानी राजा रामशाह तंवर एवं उनके वीर पुत्रों की स्मृति में 18 जून को शाम 6 बजे झोटवाड़ा स्थित यू.एस. पैराडाइज में हल्दीघाटी शौर्य स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह में प्रसिद्ध क्षित्रय विचारक, लेखक एवं इतिहास चिंतक डॉ. ओमेन्द्र सिंह रत्नु मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे।

29 अनुकम्पा नियुक्ति मामलों में राहत, 4 कर्मचारियों की सेवा समाप्त

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। साथ ही विभागीय जांच के 19 लंबित मामलों का निस्तारण करते हुए अनुशासनहीन अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने आवेदन में विलम्ब के 16 मामलों में शिथिलता देकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का अनुमोदन किया है। इसके अलावा न्यूनतम आयु सीमा और विलम्ब अवधि से जुड़े 9 मामलों में भी राहत प्रदान की गई है। वहीं आश्रित पत्नी की सुविधा के अनुसार निकटस्थ स्थान पर पदस्थापन सुनिश्चित करने के लिए विभाग परिवर्तन के चार मामलों में भी शिथिलता दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक संबल मिलेगा।

दूसरी ओर, विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर हाउसकीपर पद पर कार्यरत सत्यदेव सिंह कृष्णवत, गिरिराज प्रसाद मीणा, योगेन्द्र सिंह सिसोदिया और तरुण जोशी की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है।

वन भूमि पर कब्जे के विवाद में दो पक्ष भिड़े, चार गिरफ्तार

■ गलता गेट थाना क्षेत्र के नागतलाई इलाके में वन विभाग की सरकारी भूमि पर कब्जे का विवाद

■ पुलिस वायरल वीडियो सहित पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है

जयपुर। गलता गेट थाना क्षेत्र के नागतलाई इलाके में वन विभाग की सरकारी भूमि पर कब्जे के विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों, पत्थरों तथा मुक्कों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में करीब एक घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और कार्रवाई करते हुए चार लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार नागतलाई क्षेत्र में वन विभाग की भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कई युवक लाठियां लेकर एक-दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में महिलाओं और बच्चों के बीच चीख-पुकार का माहौल भी दिखाई देता है। वही

वायरल वीडियो में एक युवक कथित रूप से एक बच्चे का गला पकड़कर उसे धक्का देते हुए दिखाई दे रहा है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे वीडियो और घटनाक्रम की जांच कर रही है।

झगड़े के दौरान एक महिला ने विरोधी पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ टूटने की बात कह रही थी। घटना के दौरान महिलाओं और बच्चों के मौजूद रहने से क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इस संबंध में पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। विवाद का समाधान नहीं होने के कारण रविवार को स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हो गया।

सूचना मिलने पर गलता गेट थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल कराई गई।

गलता गेट थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि नागतलाई क्षेत्र में झगड़े की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस वायरल वीडियो सहित पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

उपमुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा एवं जनकल्याण को समर्पित 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा मंडल में विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों में सहभागिता की। इस अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी के परिंडे भी लगाए गए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है तथा छोटे-छोटे प्रयास भी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान भी आयोजित किया गया। इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के स्वच्छता कर्मियों का सम्मान एवं अभिनंदन किया।

दो दिवसीय गुर्जर शिक्षाविद् सम्मेलन संपन्न

■ देशभर के उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षक एवं शोधार्थी जयपुर में जुटे

जयपुर । राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर स्थित देराश्री शिक्षक सदन में आयोजित दो दिवसीय गुर्जर शिक्षाविद् सम्मेलन उत्साह एवं गरिमापूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

सम्मेलन के संयोजक प्रो. जगराम गुर्जर ने बताया कि इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों से आए शिक्षाविदों, प्रोफेसरों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों तथा समाज चिंतकों ने भाग लेकर शिक्षा, इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विकास तथा नई पीढ़ी की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया।

दो दिवसीय इस सम्मेलन में पूर्व न्यायाधीश वी.एस. सराधना तथा सांसद के पूर्व संयुक्त सचिव डॉ. सत्यप्रकाश खटाना ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सम्मेलन के दौरान पद्मश्री एवं पूर्व कृषि वैज्ञानिक प्रो. डी.आर. भूमला स्मृति व्याख्यान तथा प्रो. जगदीप एस. छोकर स्मृति व्याख्यान आयोजित किए गए। प्रो. डी.आर. भूमला की पुत्री डॉ. प्रमिला बजाड़ ने प्रो. डी.आर. भूमला स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत किया, जबकि वरिष्ठ समाजसेवी राजीव वर्मा ने प्रो. जगदीप एस. छोकर स्मृति व्याख्यान दिया।

सम्मेलन में पूर्व न्यायाधीश वी.एस. सराधना, डॉ. सज्जन पोसवाल, डॉ. आर.के. गुर्जर, डॉ. प्रमिला बजाड़, डॉ. अंजू तवर, रामफूल गुर्जर (पीआरओ), पी.डी. कसाना, डॉ. मनोज, डॉ. सतपाल, राजीव वर्मा, हरिशंकर गुर्जर, डॉ. डी.के. गुर्जर, डॉ. सत्यनारायण, नाथूलाल, बचन सिंह, डॉ. भूमला, ब्रह्म सिंह, डॉ. पी.एस. वर्मा, डॉ. गोपाल, मोहनलाल वर्मा, डॉ. कुलदीप, प्रशांत गुर्जर, डॉ. नादान सिंह, डॉ. कैलाश, डॉ. नरेंद्र भड़ाना, राकेश राणा, डॉ. फूलचंद, डॉ. अंजू तथा डॉ. देवेंद्र सहित अनेक वक्ताओं ने शिक्षा को समाज की प्रगति का मूल आधार बताते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया।

वक्ताओं ने समाज की गौरवशाली ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सार-समाचार

29वां पाटोत्सव मनाया

जयपुर। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमानजी मंदिर में भगवान सियाराम के 29वें पाटोत्सव का बुधवार को श्रीगणेश हुआ। सुबह श्री सियारामजी का 108 औषधि द्रव्य, सरयू जल, शीतल फल रस, पंचामृत और दूध से अभिषेक किया गया। वेद पाठी बालकों ने सस्वर वेद पाठ किया। इसके बाद श्री वाल्मीकि रामायण का अखंड पारायण प्रारंभ हुआ। वेद मंत्रोच्चार से षोडशोपचार पूजन के बाद पुष्पों से श्रृंगार किया गया। राजभोग झांकी के दौरान विभिन्न संतों-महंतों ने विशेष उत्सव आरती की। नरवर आश्रम सेवा समिति प्रन्यास के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा, महामंत्री ब्रज मोहन शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने संतों-महंतों का सम्मान किया। इस मौके शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज, काले हनुमान मंरि के महंत गोपाल दास महाराज, महंत मनोहरदास महाराज, घाट के बालाजी के स्वामी सुदर्शनाचार्य, राधा दामोदर जी मंदिर के महंत मलय गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में संत-महंत उपस्थित रहे। युवा सत्संग रामायण सेवा समिति के सत्यनारायण ठाकुरिया के संयोजन में दोपहर को सामूहिक सुन्दरकांड पाठ किए गए। समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि 18 जून को हरिनाम संकीर्तन और बधाई गायन होगा। सुबह 8 बजे बलराम दास सत्संग मंडल जयपुर की प्रस्तुति और शाम 7 बजे भजन होंगे। बधाई गायन शिव शान्तानन्द आश्रम गोनेर और भगवत कृपा परिवार जयपुर की ओर से किया जाएगा।

दिया कुमारी ने समाजसेवा के लिए पूर्व सैनिकों का सम्मान किया

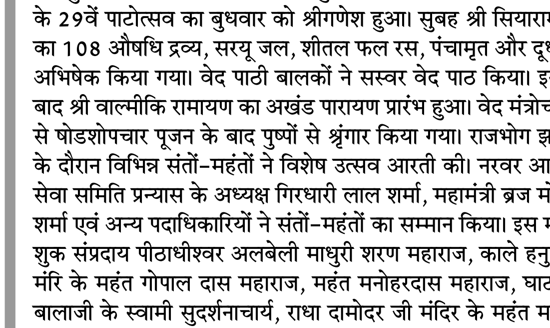

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व सैनिक, समाजसेवी एवं उत्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन शीशराम चौधरी सहित अन्य का समाजसेवा के उल्लेखनीय कार्य पर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने समाजोपयोगी कार्यों के लिए बधाई देते हुए सामाजिक कार्यों को करते रहने के लिए प्रेरित किया। पूनिया ने संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क योग, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के प्रकल्पों की जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद कौशल किशोर शर्मा, योग प्रशिक्षक शिवानन्द त्रिपाठी, राजेश कौशिक, धर्मेंद्र मिश्रा एवं अन्य उपस्थित रहे। इससे पूर्व दिया कुमारी ने राजस्थानी लोक गायक मुन्ना लाल कुमावत से उनके निवास पर भेंट कर सम्मानित किया।

विधानसभा में योग कार्यक्रम कल

जयपुर। विधानसभा के कर्तव्य द्वार पर शुक्रवार 19 जून को प्रातः 6 बजे सामूहिक योग कार्यक्रम होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में इस योग कार्यक्रम में विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण व कर्मचारीगण सक्रिय भागीदारी निभायेंगे। कार्यक्रम में सभी विधायकगण को आमंत्रित किया गया है। स्पीकर देवनानी ने कहा कि स्वस्थ शरीर, संतुलित मन एवं सकारात्मक जीवन दृष्टि योग से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में आयोजित यह सामूहिक योग कार्यक्रम स्वास्थ्य, अनुशासन एवं सामूहिक सहभागिता के संदेश को सुदृढ़ करेगा। देवनानी ने कहा कि योग शारीरिक समन्वय को बढाता है।

बैंक पात्र डवलपर्स को त्वरित ऋण प्रदान करें : चेयरमैन डिस्कॉम

■ 'बैंक सुगम प्रक्रिया अपनाकर लोन स्वीकृति में तेजी लाएं'

जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने सोलर पावर डवलपर्स एवं बैंक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

जयपुर। पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान) योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के लिए राजस्थान डिस्कॉम्स ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके अन्तर्गत डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने ऋण लेने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और बाधाओं को दूर करने के लिए बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा सोलर पावर डवलपर्स के साथ बुधवार को विद्युत भवन में बैठक की।

इस दौरान चेयरमैन डिस्कॉम्स ने कहा कि पीएम-कुसुम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय महत्व की योजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ऐसे में इस योजना की सफलता में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे सोलर पावर डवलपर्स के ऋण आवेदनों पर सकारात्मक रुख अपनाएं। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी आवश्यक औपचारिकताएं और प्रक्रिया जरूर पूर्ण करें, लेकिन पात्र आवेदकों को जटिल लोन मिलने में बेवजह देरी न हो। प्रक्रिया को जितना हो सके सुगम और त्वरित बनाया जाए ताकि पात्र डवलपर्स को समय पर वित्तीय मदद मिल सके। इससे प्लांट्स के स्थापित होने की रफ्तार और तेज होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेष में कुसुम कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी में 4468 मेगावाट के 2034 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

अब जुलाई माह से प्रत्येक माह निगम के जोनल स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बैंकों के प्रतिनिधि, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण आवेदन करने वाले डवलपर्स तथा डिस्कॉम के अधिकारियों की उपस्थिति में ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

एसीबी ने केवल एफआईआर व धाराओं का उल्लेख कर गिरफ्तारी की : हाईकोर्ट

■ हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की ओर से पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी की

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे मामले में एसीबी की ओर से पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी का कारण और गिरफ्तारी का आधार अलग-अलग बातें हैं। एसीबी ने केवल एफआईआर व धाराओं का उल्लेख कर गिरफ्तारी की, जबकि आरोपी को यह बताना जरूरी है कि उसकी भूमिका क्या है और गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। ऐसा लगता है कि एसीबी को गिरफ्तारी करने के कारणों की मूलभूत समझ तक नहीं है। वहीं अदालत ने एसीबी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी की ओर से 7 मई को ही प्रार्थना पत्र पेश कर गिरफ्तारी की वैधता पर आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन संबंधित पीठासीन अधिकारी ने रिमांड देते हुए प्रार्थना पत्र को 31 दिन तक लंबित रखा। अदालत ने पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण की जरूरत बताते हुए आदेश की कॉपी को हाईकोर्ट प्रशासन व एसीएस गृह को भेजी है। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विस्तृत आदेश जारी करते हुए दिए। हालांकि अदालत ने कहा कि एक बार न्यायिक रिमांड हो जाने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए शुरूआती गिरफ्तारी की वैधता को सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि एसीबी कोर्ट की ओर से प्रार्थना पत्र तय करने वाले गत 8 जून के आदेश को अलग से चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए हो। केवल गिरफ्तारी के आधार बताना पर्याप्त नहीं है।

याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने बताया की याचिकाकर्ता के पिता को गिरफ्तार करते हुए एसीबी की ओर से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जबकि कानूनन इसके आधार बताना जरूरी है। इसलिए गिरफ्तारी अवैध होने के कारण उसके पिता को रिहा किया जाए।